



CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2024 - 8.029



Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

ग्रामीण महिलाओं का महिला शिक्षा के प्रति प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन: जनपद सीतापुर के संदर्भ में

पंक्षीदेवी

शोधार्थी शिक्षा संकाय

डॉ. नीति त्रिवेदी

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय

वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान

Email- panchhiyadao30@gmail.com, Mobile- 7905383392

Email- neetitrivedi@banasthali.in, Mobile-9574017084

First draft received: 15.09.2024, Reviewed: 18.09.2024, Final proof received: 22.09.2024, Accepted: 25.09.2024

सार संक्षेप

महिला शिक्षा देश के लिए जरूरी है ताकि देश की खुशहाली में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके, किसी भी प्रस्थिति में अपने पैरों पर खड़ी हो सके, जिससे वे किसी पर बोझ न बन सके। किसी भी समाज की खुशहाली का आधार उस समाज की महिलाओं के स्तर व प्राप्त सम्मान से आँका जाता है। प्रत्येक समाज के लिए शिक्षा अर्जित प्रस्थिति का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत में महिला प्रशासनिक और नागरिक समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण विषय रहा है। क्योंकि महिलाएँ सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्रस्तुत अध्ययन जनपद सीतापुर की ग्रामीण महिलाओं का शिक्षा पर पारिवारिक प्रत्यक्षीकरण, आर्थिक प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, विद्यालय प्रत्यक्षीकरण एवं संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत धर्म, वर्ग, आयु, एवं शिक्षा का अध्ययन किया गया। अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में जनपद सीतापुर के 8 ब्लॉकों में से 512 महिलाओं का चयन जनसंख्या एवं शिक्षा के आधार पर यादृच्छिक विधि से किया गया। शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि ग्रामीण महिलाओं में धर्म, वर्ग, आयु एवं शिक्षा के आधार पर विभिन्नता पायी जाती है।

मुख्य बिंदु- ग्रामीण महिला शिक्षा, महिला शिक्षा प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक-आर्थिक विकास, पारिवारिक प्रत्यक्षीकरण, आर्थिक प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, विद्यालय प्रत्यक्षीकरण एवं संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण आदि।

प्रस्तावना

भारत एक विकासशील देश होने के साथ-साथ कृषि प्रधान देश भी है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। हालाँकि भारत में ग्रामीण आबादी का भाग घट रहा है फिर भी विश्व बैंक के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 70 % लगभग लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारत में ग्रामीण आबादी बड़ें पैमाने पर अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भरता के कारण सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर है। रोजगार के अवसरों की कमी और गरीबी भी ग्रामीण आबादी को उनकी क्षमता से कम वेतन में नौकरियाँ करने के लिए मजबूर करती हैं इसलिए ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का कथन है- कि "भारत गाँव के का देश है। भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। यदि गाँव को विकास व ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा से जोड़ दे, तो ग्रामीण विकास को गति प्रदान हो सकेगी। भारत जैसे बड़े देश में परिवार का आधा एक तिहाई हिस्सा शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों का है। आधुनिक भारत में गाँव का समावेशी विकास सभी की शिक्षा के बिना संभव नहीं है, अगर ऐसी सोच रखते तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि शिक्षा के बिना ग्रामीण विकास की कल्पना करना बेकार है।

शिक्षा शब्द से सभी परिचित हैं। लेकिन बहुत कम लोग इसके सही परिप्रेक्ष्य को समझ पाए हैं। दूसरी ओर, यह अवधारणा मानव जाति

जितनी ही पुरानी है परन्तु समय के साथ शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य बदल गए हैं। अब हम अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं पढ़ाते हैं, उन्हें समाजीकृत करते हैं। उन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में विकसित करते हैं। शिक्षा का लक्ष्य शिक्षित लोगों के माध्यम से राष्ट्र का विकास और सशक्तिकरण करना है। (गोयल, एटअल, 2014, 2)

शिक्षा राष्ट्र के विकास हेतु माननीय संसाधनों को तैयार करने का एक महत्वपूर्ण उपागम है। शिक्षा किसी भी देश का आधार है। जिसके द्वारा राष्ट्र अथवा समुदाय का समुचित विकास सम्भव है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक विकास की धुरी भी है। किसी समाज के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में माना जाता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में सामाजिक उत्तरदायित्वों व लोकतंत्र के प्रति नागरिकता के गुणों का विकास होता है।

प्रत्येक समाज का विकास महिला-पुरुष के परस्पर सहयोग पर आधारित होता है, परंतु जब महिला शिक्षा की बात आती है तो ज्ञात होता है कि महिलाएँ अपने अधिकारों, सामूहिक उत्तरदायित्वों के समान अधिकार के परिप्रेक्ष्य में सबसे निचले पायदान पर स्थित हैं। यदि समाज में महिलाएँ दमित शोषित एवं वंचित हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण महिला शिक्षा के प्रति स्वयं की उदासीनता है। शिक्षा से महिलाओं को बल एवं साहस प्राप्त होता है, जिससे उनकी प्रतिभा में चार चाँद लग जाते हैं। यदि महिला को शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि भारत की दशा क्या होगी?

निःसंदेह महिला शिक्षा का अभाव अथवा अल्प विकास महिला सशक्तिकरण में बाधा है।

भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी की पदवी से विभूषित किया गया है। माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, महाकाली, लक्ष्मी, आदि कई रूपों में महिलाओं का चित्रण किया गया है। आज हम 21वीं सदी में विकसित व वैज्ञानिक युग की बात करते हैं परन्तु महिलाओं के लिए विकास शब्द तो क्या, सामाजिक विकास या महिला विकास के अभिप्राय से अभी कोसो दूर हैं। सदियों से महिलाओं का शोषण, अत्याचार एवं पुरुषों की अधीनता का शिकार होती रही है। उन्हें कभी स्वच्छन्द वातावरण में जीने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

नल्सेन मण्डेला:- “शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है, जिससे दुनिया को बदला जा सकता है।”

शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मन की उन्नति, आत्मा की प्रबुद्धता, भावनाओं पर नियंत्रण और शरीर के विकास के माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व को पूर्णता के रूप में बदलना है। शिक्षा के बिना समाज का विकास और वृद्धि असंभव है। इसलिए जाने माने शिक्षा विदों ने लगातार इस बात पर सहमति जताई है कि शिक्षा वह सबसे मजबूत स्तंभ है जिस पर पूरा राष्ट्र टिका हुआ है। सामाजिक मूल्यों के हस्तांतरण और संरक्षण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। (मेहता और पूंगा, 1997, 1)

ओटवे के अनुसार:- “शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यष्टियों और सामाजिक समूहों के बीच की अन्तः क्रिया है, जो व्यक्तियों के विकास के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों से की जाती है।” (लाल, रमन बिहारी 2016)

शिक्षा एक ऐसा कवच है, जिससे मनुष्य की हर घातक प्रहार से रक्षा होती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अज्ञानता व सामाजिक कुरीतियों के दिखावी आडम्बरों के मकड़जाल से निकल सकता है। समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है। किसी भी राष्ट्र की परम्परा, संस्कृति एवं विकास राष्ट्र की महिलाओं से परिलक्षित होती है।

भारत के प्राचीन धर्म ग्रन्थों में लिखा है-

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता”

अर्थात्- जहाँ नरियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। पूजा का आशय सम्मान से है। तात्पर्य है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, वही सुख एवं समृद्धि का वास होता है। नारी को सम्मान देना भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की प्राचीन परंपरा ही है। वेद, पुराण, धर्म, ग्रंथ सभी में नारी सम्मानीय माना गया है। इतना ही नहीं हमारी सभ्यता एवं संस्कृत में नारी को देवी के समान माना गया है। सीता, सावित्री, गार्गी, मैत्रेयी जैसी महान महिलाओं ने इस देश को अलंकृत किया। (राजपूत, उदस सिंह 2011)

ऐसा माना जाता रहा है कि प्राचीन काल में महिला शिक्षा को काफी ऊंचा सम्मान प्राप्त था। समय के साथ-साथ महिलाओं में काफी उतार-चढ़ाव आये। शिक्षा के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है, समाज में गति प्रदान आती है, वैसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति और हर वर्ग के लिए शिक्षा जरूरी है। महिलाओं के लिए इसका महत्व कुछ अधिक ही है, वैदिक साहित्य में सूर्या, सावित्री, सिकता निवावरी, अपाला, आत्रेयी, आदि कुल 29 महिलाओं की चर्चा की गई है। वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा के साथ-साथ उपनयन संस्कार भी किया जाता था। वेद पठन-पाठन की स्वतंत्रता थी। लगभग 20 महिलाओं ने वेद ऋचाओं को लिखा है, जिसमें लोपा, घोसा, विश्वआरा आदि नामों का व्याख्यान मिलता है। महिलाओं को वेद अध्ययन करने के स्वतंत्रता होती थी। अधिकांश माता-पिता या कुल पुरोहित लड़कियों को घर पर ही शिक्षा प्रदान करते थे। वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य केवल लड़कों को ही शिक्षा प्रदान करना नहीं था। (पी.डी. पाठक, 2007)

महिला शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पारिवारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सदस्यों की संख्या, विवाह तथा समाज के साथ-साथ राष्ट्र पर भी पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल देते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली महिलाओं के सशक्तिकरण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएगी, उनमें नये कार्य का विकास करेगी तथा उसकी प्रारम्भिक शिक्षा में आने वाले व्यवधानों को दूर करने का प्रयास करेगी। शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं

में आलोचनात्मक चिन्तन के सिद्धान्त का विकास किया जा सकता है तथा उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति नवीन जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो महिला शिक्षा के बिना हम सशक्तिकरण की बात नहीं कर सकते हैं।”

महिलाओं को शिक्षित किए बगैर सशक्तिकरण के बारे में कल्पना करना गलत अवधारणा है क्योंकि शिक्षित महिला स्वयं ही अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जागरूक होगी। अतः प्रसार तंत्र को महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे अधिक प्रयास महिलाओं को शिक्षित करने के लिए करना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के बाद उससे होने वाले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। जिससे ग्रामीण महिलाओं को महिला शिक्षा व शिक्षा से कैसे वह लाभान्वित होगी? इससे सम्बन्धित जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि अनेक सरकारी प्रयासों के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में शिक्षा के प्रति आज भी सीमित दृष्टिकोण है। (मुहाल, महेश कुमार 2016)

भारतीय समाज कई समस्याओं से ग्रसित है। जब भी परिवर्तन होता है तो समाज में स्थापित सामाजिक मानदण्डों में भी परिवर्तन होता है। लेकिन यह परिवर्तन कई समस्याओं को भी खड़ा कर देता है। भारतीय समाज की भी अपनी कुछ समस्याएँ हैं, जिनके कारण देश का विकास अवरूद्ध हो गया है। इन प्रश्नचिह्न पर महिलाएँ सबसे उच्च स्थान पर हैं। क्योंकि मध्यकाल की भारतीय महिलाओं का विकास अवरूद्ध होने के कारण महिलाओं की स्थिति गिरती चली गयी। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जिससे देश का विकास भी मंद हो गया। क्योंकि महिलाओं के विकास पर देश का विकास निर्भर करता है। महिलाओं के सहयोग के द्वारा हम समाज की हर समस्या के समाधान को खोज सकते हैं, बशर्ते उसे उचित अवसर प्रदान किया जाए। प्रत्येक समाज के विकास की दर वहाँ की महिलाओं की प्रस्थिति पर निर्भर करती है। उसे कितने अधिकार प्राप्त हैं, सामाजिकता, सहभागिता कितनी है, राजनीतिक अस्तित्व, शैक्षणिक अवसर आदि के आधार पर महिलाओं की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में महिला विकास को समझने से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि परम्परागत भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति में लगातार क्या बदलाव देखे गये? भारत में शिक्षा की शुरुआत ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के आस पास हुई। (कुमार, 2019, 2)

भारतीय महिला शिक्षा की प्रस्थिति एक ऐतिहासिक परिप्रक्षय में

वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा- वैदिक काल में (लगभग 1500-लगभग 500 ईसा पूर्व) महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। सामाजिक धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें उचित स्थान प्राप्त था। महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, समानता, निर्णय लेने, अपने विचार व्यक्त करने और राजनीतिक मुद्दों, सामाजिक मुद्दों, जैसे विभिन्न मुद्दों पर बहस करने का अधिकार था, इस काल में मैत्रेयी, गार्गी, अंभूणी, रोमासा, आदि वैदिक काल की विद्वान व प्रसिद्ध महिलाएँ थी। (ज्योत्सना, 2016,142) कुछ महिलाएँ शिक्षिका के रूप में काम करती थीं, उन्हें उपाध्याया और उपाध्यायिनी कहा जाता था (शोवटेकर, एटअल., 2002, 45) और उस समय शिक्षा परिवार-केंद्रित थी। आश्रमों में सह-शिक्षा मौजूद थी, उच्च वर्ग की महिलाएँ उच्च शिक्षा तक शिक्षा प्राप्त करती थीं।

उत्तर-वैदिककाल (लगभग 1100-लगभग 500 ईसा पूर्व) में 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। महिलाओं को उनके सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों से वंचित किया गया। उन्होंने अपनी समानता और पितृसत्ता प्रणाली खो दी, जो महिलाओं के मौलिक अधिकारों को नियंत्रित करती थी। इस कारण से, लड़की का जन्म परिवार के लिए अभिशाप माना जाता था। मनु जो हिंदुओं के विधि निर्माता थे, ने महिलाओं को स्वतंत्रता और वैदिक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया। (महिलाएँ और शिक्षा, 1800-1980, 2013, 113-114) उत्तर वैदिक युग में महिलाओं को घरेलू कामों में लगा दिया गया। (सिंह, 2008, 204-206)

बौद्ध काल में महिलाओं की शिक्षा- बुद्ध के अनुसार, महिलाओं की आध्यात्मिक क्षमताएँ पुरुषों के बराबर थीं। बौद्ध धर्म की शुरुआत एक ऐसे धर्म के रूप में हुई थी, जो महिलाओं को उनके व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास की क्षमता में पुरुषों के बराबर मानता था। (ज्योत्सना, 2016, 142)

बौद्ध धर्म के आरंभिक इतिहास में महिलाओं ने संघ में प्रवेश दिया और महिला शिक्षा के लिए प्रेरणा दी। विशेष रूप से समाज के कुलीन और विभिन्न वर्गों की बड़ी संख्या में महिलाएँ संघ में शामिल हुईं। शिक्षा के प्रति प्रेरणा का प्रभाव आम महिलाओं में भी देखा गया। बौद्ध संघ ने महिलाओं के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास पर ध्यान दिया था। (खखलारी 2019, 5) (माहेश्वरी, 2012, 1)

मध्य काल में महिलाओं की शिक्षा- यह मध्य काल 6वीं से 16वीं शताब्दी तक यानी ब्रिटिश शासन से पहले का है। इस काल में शिक्षा 'कुरान' की इस्लामी शिक्षा पर निर्भर थी। भारत में मुस्लिम शासन में 'पर्दा' पर्दा प्रथा के कारण महिलाओं को अजनबियों के सामने जाने की अनुमति नहीं थी। लड़कियाँ घर पर केवल पढ़ना और लिखना सीखती थीं। प्राथमिक विद्यालय यानी मकतब में जाने की अनुमति थी। उनकी उच्च शिक्षा यानी मदरसा से प्रतिबंधित कर दिया गया था। (कपूर, 2018,) हालाँकि, इस अवधि के दौरान केवल राजकुमारियाँ, उनकी बेटियाँ और उच्च तबके की महिलाएँ ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, आम महिलाओं को शिक्षा से पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता था। (चंद्रा, एटअल 2003)

ब्रिटिश काल में महिलाओं की शिक्षा- ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1757 से 1858 तक शासन किया और अंग्रेजों ने 1858 से 1947 तक भारत पर शासन किया। गाँवों में प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठशालाएँ और मकतब थे। जहाँ गुरु और मौलवी बालकों को ज्ञान देते थे। उच्च शिक्षा के लिए मदरसे स्थापित किए गए थे, परन्तु लड़कियों के लिए कोई स्कूल और शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। केवल जमींदारों की बेटियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। (घोष, 1989) महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए ब्रिटिश काल में राजाराम मोहनराय, ज्योतिबाफूले, आदि उनके समाज सुधारकों ने संघर्ष किया। महात्मा गाँधी के प्रयासों से भारतीय महिला संगठन एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गयी। (गुप्ता, 2014, 16)

स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की शिक्षा- देश की स्वाधीनता के बाद महिला शिक्षा में अभूत पूर्व प्रगति हुई। महिला शिक्षा का महत्व **पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्दों** में इस प्रकार है- 'एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, किन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है। डॉ. राधाकृष्णन ने कहा है, कि 'शिक्षित महिला के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता है।' केंद्रीय सरकार में समय-समय पर विभिन्न शिक्षा आयोगों जैसे- डॉ.राधा कृष्णन विश्वविद्यालय आयोग (1948-49), दुर्गा बाई देशमुख राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958-59), श्रीमती हंसा मेहता महिला शिक्षा समिति (1962), भक्तवत्सल समिति (1953) आदि की स्थापना की थी। इन सभी ने महिला शिक्षा के विकास हेतु अनेक अभिशांसाएँ की हैं। (वर्मा, सांवरिया बिहार एवं एम. एल. सोनी एवं संजीव गुप्ता 2005) 1851 में उन्होंने पुणे में पहला अछूत स्कूल शुरू किया। सावित्री बाई ने लगातार तीन स्कूल खोले जिनमें करीब 150 लड़कियाँ पढ़ती थीं। उनका जीवन भर का एजेंडा शूद्र, अति शूद्र और महिलाओं को शिक्षित करना था, जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया था। (पटेल, 2017, 41)

स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में- 'बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाये बिना दुनिया का कल्याण सम्भव नहीं है। जैसे एक पंख से चिड़ियों उड़ान नहीं भर सकती।' (मीनाक्षी, त्यागी 2018)

राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार:- 'मैं जो कुछ भी हूँ, और जो कुछ होने की आशा करता हूँ, उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ।'

फोरेबल के अनुसार:- 'माताएँ आर्दश अध्यापिकाएँ हैं।'

शोध अध्ययन का औचित्य

विश्व विकास प्रतिवेदन 2012 के अनुसार लगभग 60 लाख महिलाएँ विश्व प्रति वर्ष परिदृश्य से ओझल हो जाती हैं। जिसके पीछे भ्रूण हत्या, अल्प आयु प्रसव मृत्यु, कुपोषण आदि कारण हैं। **अमित्रयसेन** ने (1990) में ओझिल होती महिलाओं के बारे में ध्यान आकर्षण करते हुए यह भी संकेत दिए कि प्रति ओझिल महिला की तुलना में ऐसी कई और महिलाएँ हैं जो शिक्षा, रोजगार, राजनैतिक अधिकार व उत्तरदायित्व से वंचित है जो उन्हें प्राप्त होता, अगर वह पुरुष होती। लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं की स्थिति के विकास के परिदृश्य में कहीं निचले स्तर पर है। (सेन, ए.1990) प्रतिवेदन के अनुसार विश्वभर में 129 लाख बालिकाएँ स्कूली शिक्षा से वंचित है।

जिसमें से 320 लाख प्राथमिक शिक्षा से, 300 लाख पूर्व माध्यमिक शिक्षा से तथा 660 लाख उच्च प्राथमिक शिक्षा से। महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध को महिलाओं के समग्र विकास के घटकों तक पहुँचाने की क्षमता में संज्ञानात्मक विकास करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह घटक महिला सशक्तिकरण के स्वास्थ्य, शिक्षा विकास के अवसरों की सम्प्राप्ति, अधिकार के प्रति जागरूकता, राजनैतिक प्रतिभाग आदि के रूप में चिह्नित किए जाते हैं। सशक्तिकरण स्वयं में विकास को गति प्रदान कर सकता है। राज्य द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कई उपागम किए जा रहे हैं। जैसे 2015 तक शैक्षिक अवसरों में लैंगिक दूरी को दूर करना तथा सार्वभौमिक शिक्षा की प्राप्त करना जैसे लक्ष्यों के निर्धारण शताब्दी में लेनिम डेवलपमेंट गोल्ड सके रूप में विश्व भर के देशों की सहमति हुई। **संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार** व्यवसायिक अवसरों की समानता में महिलाओं को उच्च सदन योग निम्न सदन में मात्र 19.4% प्रतिनिधित्व प्राप्त है। विधिक अधिकारों में कई राष्ट्रों की महिलाएँ अपनी जमीन, अपनी संपत्ति के प्रबन्धन, व्यवसाय संचालन और अपने पति की सहमति के बिना यात्रा करने सम्बन्धी स्वतंत्र अधिकार से वंचित हैं। (हुतुन एवं वेलडन 2011) व्यवसायिक अवसरों की समानता में महिलाएँ समान कार्य के लिए पुरुषों से कम वेतन प्राप्त करती हैं। महिलाएँ गृह कार्य में पुरुषों की तुलना में लगभग दुगुना समय, बच्चों की बच्चों की तुलना में 5 गुना समय एवं बाजार सम्बन्धी कार्य में लगभग आधा समय बिताती हैं। (वरिनियल एण्ड सेंसस 2011) इन विश्व भर में महिला एवं पुरुषों में विरासत सम्बन्धी अधिकार भी विषय है। इस से ज्ञात होता है कि महिला सशक्तिकरण अपने लक्ष्यों से दूर है। चूँकि महिलाओं के सशक्तिकरण सम्बन्धी उपरोक्त सूचनाएँ विश्वभर की ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की महिलाओं को सम्मिलित करती है। अतः ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की स्थिति अच्छी होगी ऐसी कल्पना करना सम्भव नहीं है क्योंकि आर्थिक विकास एवं मानव महिला सशक्तिकरण में परस्पर सम्बन्ध है। अतः महिलाओं के आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण के साथ शिक्षा की परस्पर सम्बन्धों को महिलाओं के विकास के अवयवों तक पहुँचाने की क्षमता में सुधार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

समस्या कथन

इस शोध अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया कि जनपद सीतापुर की ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा पर पारिवारिक प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, आर्थिक प्रत्यक्षीकरण, विद्यालय व संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण का आयु, धर्म, वर्ग व शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है?

शोध में प्रयुक्त चरों का अर्थ

पारिवारिक प्रत्यक्षीकरण:- प्रस्तुत अध्ययन में पारिवारिक प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है कि ग्रामीण महिलाओं के घर का वातावरण उनकी शिक्षा के लिए कितना उपयुक्त है? महिला शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है? शिक्षा के संदर्भ में, महिलाओं का परिवार के प्रति क्या प्रत्यक्षीकरण है?

सामाजिक प्रत्यक्षीकरण:- प्रस्तुत अध्ययन में सामाजिक प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है कि ग्रामीण महिलाओं के आसपास का वातावरण उनकी शिक्षा के लिए कितना उपयुक्त है? सामाजिक वातावरण महिला शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है? शिक्षा के संदर्भ में, महिलाओं का सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति को क्या प्रत्यक्षीकरण है?

आर्थिक प्रत्यक्षीकरण:- प्रस्तुत अध्ययन में आर्थिक प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है कि ग्रामीण महिलाओं के माता-पिता की आर्थिक स्थिति कैसी है? महिला शिक्षा को आर्थिक स्थिति किस प्रकार प्रभावित करती है? शिक्षा के संदर्भ में, महिलाओं का आर्थिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति महिलाओं का क्या प्रत्यक्षीकरण है?

विद्यालयी प्रत्यक्षीकरण:- प्रस्तुत अध्ययन में विद्यालयी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए विद्यालय आने-जाने समस्याओं, विद्यालयी पाठ्यक्रम की समस्या, विद्यालयी वातावरण, विद्यालय में महिला अध्यापकों की कमी, पेय जल की समस्या व अन्य समस्याओं से महिला शिक्षा किस प्रकार प्रभावित होती है?

संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण:- प्रस्तुत अध्ययन में संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए भारतीय

संविधान में कौन-कौन से संवैधानिक अधिकार दिए गये हैं? संवैधानिक अधिकारों के अभाव में क्या महिला शिक्षा प्रभावित होती है?

ग्रामीण महिलाएँ- प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण महिलाओं से तात्पर्य जनपद सीतापुर के 8 ब्लाकों में रहने वाली समस्त शिक्षित, अशिक्षित, धर्म, आयु व संवर्ग आदि की ग्रामीण महिलाओं से है।

धर्म:- प्रस्तुत अध्ययन में धर्म का तात्पर्य जनपद सीतापुर के 8 ब्लाकों में निवास करने वाली सभी धर्मों की (हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई व अन्य) ग्रामीण महिलाओं से है।

संवर्ग:- प्रस्तुत अध्ययन में संवर्ग का तात्पर्य जनपद सीतापुर के 8 ब्लाकों में निवास करने वाली समस्त (सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य) ग्रामीण महिलाओं से है।

शिक्षा -प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षा से तात्पर्य जनपद सीतापुर के 8 ब्लाकों में निवास करने वाली समस्त साक्षर, प्राइमरी शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, स्नातक या उससे अधिक शिक्षित ग्रामीण महिलाओं से है।

आयु:- प्रस्तुत अध्ययन में आयु से तात्पर्य जनपद सीतापुर के 8 ब्लाकों की 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु की समस्त ग्रामीण महिलाओं से है।

अध्ययन के उद्देश्य

जनपद सीतापुर की ग्रामीण महिलाओं का महिला शिक्षा के प्रति प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन निम्नलिखित के संदर्भ में अध्ययन करना।

1. आयु
2. संवर्ग
3. धर्म
4. शिक्षा

परिकल्पना

जनपद सीतापुर की ग्रामीण महिलाओं का महिला शिक्षा के प्रति प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन निम्नलिखित के संदर्भ में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

गौण परिकल्पना

1. जनपद सीतापुर की ग्रामीण महिलाओं में महिला शिक्षा के प्रति प्रत्यक्षीकरण में आयु के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
2. जनपद सीतापुर की ग्रामीण महिलाओं में महिला शिक्षा के प्रति प्रत्यक्षीकरण में संवर्ग के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
3. जनपद सीतापुर की ग्रामीण महिलाओं में महिला शिक्षा के प्रति प्रत्यक्षीकरण में धर्म के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
4. जनपद सीतापुर की ग्रामीण महिलाओं में महिला शिक्षा के प्रति प्रत्यक्षीकरण में शिक्षा के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

शोध का परिसीमन

शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की 512 ग्रामीण महिलाओं तक ही सीमित था।

शोध का प्रकार

शोध अध्ययन में प्रदत्तों की प्रकृति मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रकार की है। शोध सर्वेक्षण विधि पर आधारित है।

जनसंख्या

शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की समस्त ग्रामीण महिलाओं को जनसंख्या के रूप में चुना गया।

न्यादर्श

शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के 8 ब्लाकों के गाँवों ग्रामीण महिलाओं का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। चयनित 16 गाँवों में से 32-32 ग्रामीण महिलाओं का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि के रूप में सम्मिलित किया गया था।

शोध उपकरण

महिला शिक्षा प्रत्यक्षीकरण प्रश्नावली – स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया।

प्रदत्तों का विश्लेषण व व्याख्या

तालिका संख्या -1

ग्रामीण महिलाओं का शिक्षा के प्रति प्रत्यक्षीकरण

क्र. सं	ग्रामीण महिला शिक्षा के विभिन्न प्रत्यक्षीकरण	सहमति (%) में
1.	परिवारिक प्रत्यक्षीकरण	90.43
2.	सामाजिक प्रत्यक्षीकरण	69.92
3.	आर्थिक प्रत्यक्षीकरण	78.71
4.	विद्यालयी प्रत्यक्षीकरण	53.91
5.	संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण	52.93

तालिका संख्या 4.1 से ज्ञात होता है, कि महिलाओं द्वारा महिला शिक्षा के प्रति प्रत्यक्षीकरण के पाँचों प्रत्यक्षीकरण आयाम में पारिवारिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति सर्वाधिक सहमति 90.43% व्यक्त की गयी। सामाजिक पहलू के प्रति सहमति 69.92% व्यक्त की गई है। आर्थिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति सहमति 78.71% व्यक्त की गयी, एवं महिलाओं द्वारा विद्यालयी व संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति सहमति 53.91% एवं 52.93% लगभग समान सहमति व्यक्त की गयी। जनपद सीतापुर की ग्रामीण महिलाओं में महिला शिक्षा के प्रति आयु के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

ग्रामीण महिला शिक्षा प्रत्यक्षीकरण में आयु के आधार पर प्रत्यक्षीकरण (सहमति का प्रतिशत)

तालिका-1.2

क्र. सं	आयु (वर्ष में)	पारिवारिक प्रत्यक्षीकरण (%)	आर्थिक प्रत्यक्षीकरण (%)	सामाजिक प्रत्यक्षीकरण (%)	विद्यालयी प्रत्यक्षीकरण (%)	संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण (%)
1	18 - 27	70.3	81.32	68.97	59.06	63.39
2	28 - 36	69.93	67.89	63.21	61.32	67.38
3	37 - 45	78.09	76.08	70.79	70.73	71.08

तालिका संख्या 4.2.1 से ज्ञात होता है, कि ग्रामीण महिलाओं की आयु के आधार पर शिक्षा प्रत्यक्षीकरण के लगभग सभी के प्रति सहमति व्यक्त की गयी। 18 से 27 वर्ष आयुवर्ग की ग्रामीण महिलाओं ने आर्थिक के प्रति सर्वाधिक सहमति 81.32 % व्यक्त की गयी। 28 से 36 वर्ष आयु वर्ग की ग्रामीण महिलाओं पारिवारिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति सर्वाधिक सहमति 69.93% व्यक्त की गयी। 37 से 45 वर्ष आयु वर्ग की ग्रामीण महिलाओं ने पारिवारिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति सर्वाधिक सहमति 78.09% व्यक्त की गयी। ग्रामीण महिलाओं में 37 से 45 वर्ष आयुवर्ग के आधार पर शिक्षा में विभिन्नता पायी जाती है।

ग्रामीण महिला शिक्षा प्रत्यक्षीकरण संवर्ग के आधार पर प्रत्यक्षीकरण (सहमति का प्रतिशत)

तालिका-1.3

क्र. सं.	संवर्ग	पारिवारिक प्रत्यक्षीकरण (%)	आर्थिक प्रत्यक्षीकरण (%)	सामाजिक प्रत्यक्षीकरण (%)	विद्यालयी प्रत्यक्षीकरण (%)	संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण (%)
1	सामान्य वर्ग	65.37	49.87	68.87	59.04	48.56
2	पिछडा वर्ग	68.03	59.06	65.37	64.09	57.38
3	अनुसूचित जाति	74.72	59.87	71.87	71.65	56.87
4	अनुसूचित जनजाति	76.63	63.73	70.87	73.34	62.18

तालिका संख्या 4.2.4 से ज्ञात होता है, कि सामान्य वर्ग की ग्रामीण महिलाओं में सबसे अधिक सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति 68.87 सहमति पायी गयी। पिछडा वर्ग व सामान्य वर्ग की ग्रामीण महिलाओं में पारिवारिक एवं सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति समान 68.03% व 65.37% सहमति व्यक्त की गयी। पिछडे वर्ग व अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं में सामाजिक व विद्यालयी प्रत्यक्षीकरण के प्रति समानता 71.87% व 71.65 % लगभग समान सहमति पायी गयी। जब कि सबसे कम सामान्य वर्ग के आर्थिक एवं संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण 49.87% व 48.56 % सहमति पायी गयी। अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण महिलाओं में विद्यालयी प्रत्यक्षीकरण के प्रति 73.34 % सहमति पायी गयी। जबकि सामान्य वर्ग की ग्रामीण महिलाओं में संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण पर सबसे कम% सहमति पायी गयी। ग्रामीण महिलाओं में सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में शिक्षा के आधार पर विभिन्नता पायी है।

तालिका- 1.4

ग्रामीण महिला शिक्षा प्रत्यक्षीकरण में धर्म के आधार पर प्रत्यक्षीकरण (सहमति का प्रतिशत)

क्र. सं.	धर्म	पारिवारिक प्रत्यक्षीकरण (%)	आर्थिक प्रत्यक्षीकरण (%)	सामाजिक प्रत्यक्षीकरण (%)	विद्यालयी प्रत्यक्षीकरण (%)	संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण (%)
1.	हिन्दू	79.58	78.79	60.69	56.32	56.32
2.	मुस्लिम	58.02	63.38	58.32	53.49	38.59
3.	सिक्ख	1.3	9.24	6.8	2.3	0
4.	ईसाई	2.14	0	4.67	0	0

तालिका संख्या 4.2.3 से ज्ञात होता है, कि धर्म के विभिन्न स्तरों के आधार पर ग्रामीण महिलाओं में महिला शिक्षा के प्रत्यक्षीकरण के प्रति हिन्दू धर्म की महिलाओं में पारिवारिक प्रत्यक्षीकरण, आर्थिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति लगभग समान 79.58% व 78.79% सहमति व्यक्त की गयी। मुस्लिम धर्म में पारिवारिक व सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति लगभग समान 58.02% व 58.32% सहमति व्यक्त की गयी। मुस्लिम वर्ग की ग्रामीण महिलाओं में संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण के सबसे कम 38.59% सहमति पायी गयी। जबकि हिन्दू वर्ग की ग्रामीण महिलाओं में विद्यालयी एवं संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण 56.32 % व 56.32% के प्रति समान सहमति व्यक्त की गयी। सिक्ख धर्म की ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति 9.24% सबसे कम सिक्ख व ईसाई धर्म की महिलाओं में संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण में पाया गया। ग्रामीण महिलाओं में हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिक्ख धर्म व ईसाई धर्म की महिलाओं में शिक्षा आधार पर विभिन्नता पायी जाती है।

ग्रामीण महिला शिक्षा प्रत्यक्षीकरण में शिक्षा के आधार पर प्रत्यक्षीकरण (सहमति का प्रतिशत)

तालिका-1.5

क्र. सं.	शिक्षा स्तर	पारिवारिक प्रत्यक्षीकरण (%)	आर्थिक प्रत्यक्षीकरण (%)	सामाजिक प्रत्यक्षीकरण (%)	विद्यालयी प्रत्यक्षीकरण (%)	संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण (%)
1	साक्षर	80.21	76.76	70.64	72.53	72.51
2	प्राथमिक शिक्षा	77.04	63.32	69.7	66.03	67.3
3	उच्चप्राथमिक शिक्षा	63.58	70.01	71.09	65.56	74.21
4	स्नातक व उच्च शिक्षा	56.08	57.8	56	75	69

तालिका संख्या 4.2.2 से ज्ञात होता है, कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों के आधार पर महिलाओं ने महिला शिक्षा के प्रभावित होने के चारों प्रत्यक्षीकरण के प्रति सहमति व्यक्त की गयी। साक्षर व प्राथमिक स्तर की प्रत्यक्षीकरण ने पारिवारिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति 80.21% व 77.04% सर्वाधिक सहमति व्यक्त की गयी। प्राथमिक स्तर की महिलाओं ने सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति 69.7% सहमति व्यक्त की है। उच्च माध्यमिक स्तर की महिलाओं ने संवैधानिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति 74.21% सहमति व्यक्त की गयी। उच्च माध्यमिक स्तर की महिलाओं ने आर्थिक प्रत्यक्षीकरण के प्रति 70.01% सहमति व्यक्त की है।

विश्लेषण - उपयुक्त अध्ययन के आधार पर ज्ञात है कि ग्रामीण महिला शिक्षा प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सभी धर्म, संवर्ग, आयु, तथा शिक्षा के आधार पर विभिन्नता पायी जाती है। विभिन्नता के कारण महिला शिक्षा प्रभावित होती है।

निष्कर्ष

शिक्षा से ही महिलाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षा के बिना यह समभव नहीं हो सकता है। शिक्षित व सशक्त महिलाएँ राष्ट्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, जागृति व अधिकारों की सही जानकारी से, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के अवसरों का लाभ उठा सकेगी। जिससे वे अपने कौशल विकास के महत्वपूर्ण फैसले स्वयं लेकर स्वालम्बी बनकर राष्ट्र का सहयोग करेंगी। भारत सरकार ने महिला शिक्षा को प्रमुखता दी है। सरकार का यह मानना है कि आधी आबादी को शिक्षा के द्वारा सशक्त बनाया जा सकता है जिससे वे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। शिक्षा महिलाओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों का पालन करने में मदद करती है, उन्हें राजनीतिक

सहभागिता और जीवन के बारे में निर्णय लेने के विकल्पों के सन्दर्भ में अधिक सार्थक निर्णय लेने का मौका देती है। इस प्रकार शिक्षा आत्मविश्वास और निर्णय लेने के विकल्पों के सन्दर्भ में अधिक सार्थक निर्णय लेने की शक्ति के निर्माण से लाभान्वित हो सकती है। समाज, राष्ट्र को नई दिशा प्रदान करने के लिए महिलाओं का अग्रसर होना स्वभाविक है। महिलाएँ शिक्षित होकर सेना, पुलिस, पायलट आदि क्षेत्र जो पुरुषों के लिए आरक्षित थे, वहाँ भी अपना प्रदर्शन कर रही हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- अर्जुन, आर .नारी के बदलते आयाम, नई दिल्ली, अर्जुन प्रकाशन हाउस।
- आम्टे, प्रभा. (1996). भारतीय समाज में नारी, क्लासिकल पब्लिकेशन हाउस, जयपुर
- कुमार. एम. (2018). महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-145
- कटारिया, के. (2003). नारी जीवन: वैदिक काल से आज तक, यूनिवर्सल ट्रेडर्स, जयपुर।
- कुमार.एस. (2016). महिला सशक्तिकरण में मनरेगा की भूमिका एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, राधा कमल चिन्तन परम्परा, वर्ष 18, अंक जुलाई--दिसम्बर पृष्ठ संख्या-146
- कौर, एम (2019). भारत में माध्यमिक शिक्षा, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया।
- कौशिक, ए. (2004). मानवाधिकार एवं राज्य: बदलते संदर्भ एवं उभरते आयाम, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
- गोयल, एस. एवं एस. (2003). भारतीय समाज में नारी आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर।
- गोदियाल, आर.वी. एवं एस. (2006). महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम एवं शिक्षा, शिक्षा वचन पित्राका त्रिमूर्ति संस्थान, कानपुर।
- जडिया, एस. (2012). दलित महिला विकास योजना एवं बालिका शिक्षा, ओमेगा पब्लिकेशन, दरिया गंज, नई दिल्ली।
- डालमिया, एन. (2003). नए आयामों को तलाशती नारी, जयपुर, नई दिल्ली नवचेतन प्रकाशन।
- देसाई, एन. (1982). भारतीय समाज में नारी, मैकमिलन इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
- देसाई, एन. एवं ठक्कर, उषा (2015). भारतीय समाज में महिलाएँ, राष्ट्रीय पुस्तक, न्यास।
- पाठक, पी.डी. (2016). भारतीय शिक्षा और उनकी उसकी समस्याएं, विनोद मंदिर आगरा, पृष्ठ संख्या-1
- प्रकाश, पी. एवं पी. सिंह (2022). नारी और युवा सशक्तिकरण कुरुक्षेत्र, वर्ष 68, अंक पृष्ठ सं. 53-57
- मुछाल, एम.के. (2016). महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण परिप्रेक्ष्य, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या- 41
- मौर्य. एस. (2012). भारतीय समाज में महिला विमर्श एवं यथार्थ पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर पृ.सं.8।
- राजपूत, यू.सिंह. (2011). भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता, महिला आरक्षण एवं भारतीय समाज, पृष्ठ- 88
- लाल, प्रो. आर. बी. (2016). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्र के सिद्धांत, आर लाल बुक डिपो मेरठ प्रेस, पृष्ठ सं--4
- सेन. ए. (1990). मोर दैन हण्डरेट मिलियन वीमेन आर मिसिंग दि न्यूयॉर्क, रिच्यू ऑफ बुक्स
- शर्मा, वी. के. (2022). आदिवासी शिक्षा, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली।
- Chandra, S.S., Rawat V.S.Singh R.P., (2003), "Indian Education Development, Problems, Issues And Trends", R. Lal Book Depo-Meerut, Pp-65
- Goel, C. (2014). 'Basics In Education', A Textbook For B. Ed Course
- Patel, G. (2014). 'An Analytical Study Of Women Education In The Backward Area Of Panchmahal District'. Minor Research Project, University Grants Commission, Western Regional Pune